

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--कार्यालय-आदेश--

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा / मा / संस्था / बी-1 / 45001 / आरपीएससी-18 / पदस्थापन / 2019 / 1-164 दिनांक 16.10.2019 द्वारा कुल 614 अभ्यर्थियों (वरियता क्रमांक 01 से 1187 तक है, जिसमें बीच-बीच में कुछ के नम्बर नहीं आये हुए हैं) के पदस्थापन आदेश प्रथम चरण में जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच, आवेदन पत्रों की जांच एवं इस प्रकार के विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 16.10.2019 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 16.10.2019 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (किरण अरोड़ा व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1594 / 2023 किरण अरोड़ा व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरियता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1594 / 2023 किरण अरोड़ा व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2023 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7283 / 2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283 / 2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया।

Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 – Director, Secondary Education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण किरण अरोड़ा व आशा कुमारी मीणा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2019 के अनुसार स्थायीकरण एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियमित वेतन व कनिष्ठ के बराबर परिलाभ की मांग मुख्य रूप से की गई हैं।

No	कार्मिक का नाम	एम्प्लोयी आई. डी.	जन्मतिथि	मेरिट संख्या	विद्यालय का नाम	जिला	प्रधानाध्यापक प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रधानाध्यापक (मावि) पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक
1	KIRAN ARORA	RJPA201229046234	15-06-1969	1127-A	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NIMBADA (227154)	PALI	19-03-21	10-03-21

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.26 22:21:09 IST
Reason: Approved

2	ASHA KUMARI MEENA	RJSK201233020978	16-01-1986	1063-A	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RASIDPURA (213282)	SIKAR	12-03-21	10-03-21
---	-------------------	------------------	------------	--------	--	-------	----------	----------

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक मंजु पवन (वरीयता क्रमांक-1186) जन्म तिथि-12.04.1983 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 16.10.2019 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मंजु पवन द्वारा दिनांक 18.10.2019 को कार्यग्रहण किया। मंजु पवन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त उन्हे दिनांक 18.10.2021 को नियमित वेतन शृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार याचिकार्थी किरण अरोड़ा व आशा कुमारी मीणा के द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक मंजु पवन द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाभ की काल्पनिक गणना करते हुए उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाकर याचिकार्थी को परिलाभ प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/सस्था/बी-III/कोके/किरण व अन्य/या.सं./1594/23

दिनांक:- 27. JULY. 23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मन्त्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (पंचायती राज) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जोधपुर।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, वरिष्ठता अनुभाग/विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. संबंधित कार्मिकों को सूचनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.26 22:21:09 IST
Reason: Approved